



मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974

(दिनांक 01.07.1999 तक संशोधित)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मध्यप्रदेश शासन

विवरणिका

| | |
|---|----|
| मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 | 5 |
| मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (संशोधन) आदेश | 12 |
| आवेदन - पत्र 1 ए | 19 |
| आवेदन - पत्र 1 बी | 21 |
| प्रारूप 2 (आशय पत्र) | 24 |
| प्रारूप 3 (सहमति पत्र) | 25 |
| प्रारूप 4 (आवंटन आदेश) | 26 |
| अनुसूची - पाँच | 27 |
| अनुसूची | 35 |

मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974
(दिनांक 01.04.1999 तक की स्थिति में संरक्षित)

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

- (i) ये नियम मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम, 1974 कहलायेंगे।
- (ii) संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर ये नियम विस्तारित किये जायेंगे।
- (iii) ये नियम तत्काल प्रनाव से प्रभावशाली होंगे।

2. परिमाणात्मक

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा बांधनीय नहीं हो :-

- (i) भवन से तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, जर्दूशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं गानीज कर्मशाला में निर्मित शेड्स एवं गोदानों को साम्बन्धित करते हुए शासन के स्वामित्व के फ़िल्सी भवन से होंगा।
- (ii) भूमि से तात्पर्य उद्योग विभाग के स्वामित्व/आधिकार में औद्योगिक तथा इसके सहायक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध विकासित एवं अविकासित भूमि से है। प्लाट का तात्पर्य उस क्षेत्र के लिए नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा अनुमोदित अधिनियास में दिये गये प्लाटों से है।
- (iii) आवंटन अधिकारी से तात्पर्य
 - (a) विलोपित
 - (b) अपने होत्राधिकार में औद्योगिक संस्थान, जर्दूशहरीय औद्योगिक संस्थान में निर्मित सभी भवनों, ग्रामीण कर्मशालाओं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, जर्दूशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं कर्मशालाओं में प्रत्येक प्रकरण में 5 एकड़ तक भूमि हेतु मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र।
 - (c) विलोपित
- (iv) 5 एकड़ से अधिक के अन्य प्रकरणों में जिला योजना समिति। (मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 15/60/90/11/डी, दिनांक 30.3.99 से आदेश से भाग - (a) और (c) विलोपित तथा भाग (b) और (d) को संशोधित किया गया है।
- (v) शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है।
- (vi) संचालनालय से तात्पर्य मध्यप्रदेश का उद्योग संचालनालय एवं उसके अधीन कार्यालयों से है।
- (vii) विकित बेरोजगार से तात्पर्य उन आवेदकों से होगा जो समय-समय पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परिनाम के अंतर्गत आते हों।
- (viii) जिला योजना समिति से तात्पर्य मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत गठित जिला योजना समिति से है। (आदेश क्रमांक एफ 15/60/90/11/डी, दिनांक 1.4.99 से क्रमांक (vii) जोड़ा गया)

3. आवंटन हेतु पात्रता

- (i) संचालनालय में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत कोई भी इकाई अथवा तकनीकी विकास महानिवेशक भारत शासन से पंजीकृत फ़िल्सी इकाई अथवा भारत शासन से औद्योगिक विकास एवं नियन्त्रण एकट 1951 के अंतर्गत आशय पत्र/अनुशा पत्र प्राप्त आवेदक इकाई या औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करने वाले आवेदक को उद्योग स्थापनार्थ अथवा स्वामित्व इकाई के विस्तार हेतु भूमि अथवा भवन आवंटन हेतु विचार किया जायेगा।

- (ii) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संस्थान/अद्वैशहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में आवंटन पात्रता से किसी उद्योग अधिकार उद्योगों के वर्गों को वंचित करने का अधिकार राज्य शासन सुरक्षित रखता है।
- (iii) अपरम्परागत संवर्तनों को यदि उन्हें विवाह समिति का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो वे संवर्तन भूमि आवंटन की पात्रता रखेंगे।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से (iii) जोड़ा गया)

4. नीलामी हेतु भूमि/भवन का आरक्षण

- (i) राज्य शासन किसी भी स्थान पर कोई भूमि/भवन का आरक्षण पटेलारी अधिकारी के अंतर्गत नीलामी द्वारा कर सकेगा।

जिला योजना समिति, औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में निजी क्षेत्रों के माध्यम से शेषों का काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकती।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से (i) जोड़ा गया)

5. आवंटन में प्राथमिकताएँ

- (i) राज्य शासन द्वारा घोषित प्राथमिकता वाले उद्योगों को भूमि/भवन आवंटन हेतु किसी भी भूमि/भवन को आरक्षित रख सकता।
- (ii) स्थापित कार्यरत उद्योगों को विस्तार हेतु चाटी वई भूमि आसपास उपलब्ध भूमि से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जा सकती।
- (iii) राज्य शासन कठिनपय विशेष प्रयोजन हेतु भूमि/भवन को आवंटन हेतु आरक्षित कर सकता।
- (iv) किसी भी उद्योग हेतु स्थापित उद्योग के विस्तार हेतु अधिकार योजना भूमि आवंटन के आधार पर भूमि आवंटन के राज्य शासन के अंतर्निहित अधिकार को इन नियमों के अंतर्गत किसी कारण से सीमित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का आरक्षण/आवंटन उन समस्त शर्तों के आधार पर किया जाएगा जो कि शासन द्वारा प्रकरण के मुण्ड दोषों के आधार पर लगाई गई हों।
- (v) औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, विकास केन्द्रों, अद्वैशहरीय औद्योगिक संस्थान, ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/शेड आवंटन की प्राथमिकता निमानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. शत-प्रतिशत नियात आधारित इकाई/नियातक इकाई/अप्रदाती भारतीय की इकाई।
2. मूल्य एवं नव्यम श्रेणी की इकाई
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी एवं उनकी सहायी संस्था।
4. शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी।
5. महिला उद्यमी।

प्राथमिकता अंतर्गत 50 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता शूची अनुलम होगा तथा 50 प्रतिशत आवंटन ऐर प्राथमिकता शूची के उद्यमियों को होगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से (v) जोड़ा गया)

6. भूमि का परिमाण

प्रस्तावित योजना/परियोजना में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र से निमानुसार भूमि आवंटित वी जा सकती है :-

- (i) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के 3 मुना तक भूमि आवंटन किया जा सकता।
- (ii) निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र से 2 मुना तक भूमि आवंटन किया जा सकता।

उपरोक्त पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा यदि दो लेक्टेयर तक भूमि आवंटन है तो जिला योजना समिति की पूर्व अनुमति से तथा दो लेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन है तो राज्य शासन की पूर्व अनुमति से आवंटन किया जा सकेगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 6 प्रतिस्थापित किया गया)

7. आवंटन हेतु आवेदन

- (i) भूमि/भवन आवंटन हेतु समस्त आवेदन पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिले कि भूमि/भवन रिप्ट है को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र -1 (ए) अधवा 1 (बी), जो भी लागू हो, प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) भूमि आवंटन के आवेदन के साथ आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आवेदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यह अवधि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैध आवेदन प्राप्ति होने की तिथि से नाली जावेगी। आवेदन शुल्क पर कोई आज देय नहीं होगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से (ii) जोड़ा गया)

8. आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया

- (i) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने वैध आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीकृत किया जाएगा। भूमि/भवन उपलब्ध होने पर प्रकरण का परीक्षण कर पत्र आवेदक को 15 दिवस में भूमि/भवन आवंटित/अनुशसित किया जाएगा।
- (ii) जब तत्काल रूप से कोई नुख़ब/भवन उपलब्ध न हो तो उस रिप्टि ने दो प्रकार की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें से एक प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता श्रेणी की होगी तथा दूसरी सामान्य श्रेणी के उद्यमियों की होगी। एकान्तर प्रदूषित के आधार पर भूमि/भवन का आवंटन प्राथमिकता श्रेणी की इकाइयों तथा सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को होगा। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रथम आवंटन प्राथमिकता सूची से किया जावेगा।
- (iii) समस्त आवेदन प्रथमतः एक वर्ष के लिए वैध होने तत्परता आवेदक की स्वेच्छा से ही उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तदाशय की सूचना आवेदक द्वारा एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पूर्व ही संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने देनी होती है। समयावधि में सूचना न देने के कलरवरुप पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रब्याजि में से 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 15 प्रतिशत राशि आवेदक को वापस कर उसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।
- (iv) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वैध तिथि के उपरात आवेदक को 15% प्रचलित प्रब्याजि वापस करनी होगी जन्यथा वे विलंब हेतु उत्तरदायी होते।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 8 प्रतिस्थापित किया गया)

9. निर्णय से सूचित करना

आवंटन प्राधिकारी द्वारा भूमि/भवन हेतु पात्र आवेदकों को अनुसूची 2 अनुसार निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी किया जाएगा।

10. आवेदक द्वारा सूचित सूचित करना

- (i) आशय पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर आवेदक को धालान के माध्यम से एक वर्ष का भू-माटक तथा प्रब्याजि जमा करनी होती है। अन्यथा उसका आशय पत्र निरत्त नानते हुए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गयी आवेदन शुल्क की राशि राजसात कर ली जाएगी।

- (iii) आवेदक को आशय पत्र प्राप्ति के छः भाह के अंदर इकाई वित्त पोषित होने पर उसके द्वारा किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाएगी, के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा जधवा इकाई स्वचित पोषित होने की दशा में परियोजना अनुसार रथाई पूँजी बेचन के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक से सावधि जमा रसीद तैयार कराना होगा जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक होगी जन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी राशि राजसात् वी जाएगी।
- (iv) विशिष्ट भूखण्ड/भवन क्रमांक अंकित कर आशय पत्र जारी किया जाएगा।
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 10 प्रतिस्थापित किया गया)
11. आवंटन आदेश जारी करना तथा आधिपत्य प्राप्त करना
- (i) आवेदक द्वारा आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के उपरांत 30 दिवस के अंदर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवंटन आदेश जारी करेगा।
- (ii) आवेदक निम्न शर्तों की पूर्ति करे जन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात् वी जाएगी :-
- (अ) 15 दिवस के अंदर 3 वर्ष के बराबर मु-भाटक प्रत्याभूति के रूप में जमा करे तथा भवन के प्रकरण में एक वर्ष का किराया जमा करें।
- (ब) भूमि आधिपत्य के पूर्व 30 दिवस के अंदर पञ्चविलेख निष्पादित कर घंजीकृत कराएं।
- (स) "अ" एवं "ब" कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात 7 दिवस के अंदर भूमि का आधिपत्य प्राप्त करें।
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम -11 प्रतिस्थापित किया गया)
12. रथानीय रोज़गार
- (i) उद्योग विशेष जधवा उद्योगों हेतु अंजित की गई भूमि से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को संबंधित उद्योगों में नियोजित करना जनिवार्य होगा।
- (ii) उद्योग आयुक्त जधवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अंजित की गयी भूमि के संबंध में एक योजना बनाई जाएगी जिसमें अंजित भूमि से प्रभावित परिवारों की सूची (अधिग्रहीत की गयी भूमि की मात्रा अनुसार वरिष्ठता देकर) तैयार की जाकर कुल प्रभावित परिवारों की संख्या निकाली जाएगी।
- (iii) शुद्ध आवंटन योग्य भूमि ने प्रभावित परिवारों की संख्या का भाग देकर प्रति टेकटेयर प्रभावित परिवारों की संख्या निकाली जाएगी।
- (iv) इस प्रकार निकाली गयी प्रति टेकटेयर प्रभावित परिवारों की संख्या ने उद्योग विशेष को आवंटित भूमि के अनुपात ने प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को योग्यता अनुलेप एवं उद्योग विशेष के पदों को ध्यान में रखकर भूमि आवंटन से एक वर्ष की अवधि में संबंधित उद्योग द्वारा रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।
- (v) इस हेतु उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभावित परिवारों वी संख्या एवं प्रभावित परिवारों की सूची संबंधित उद्योग को रोज़गार देने हेतु प्रदान की जाएगी।
- (vi) उप नियम 1 एवं सहपतित उप नियम 6 में वर्णित सूची अनुसार प्रभावित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोज़गार देने हेतु आवंटी बाध्य होगा।
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 12 विलोपित व नियम 12 ए के प्रायधान नियम 12 के रूप में प्रतिस्थापित)
13. आशय पत्र जधवा आवंटन आदेश का निरस्तीकरण
- निर्धारित समयावधि में आशय पत्र की शर्तों का क्रियान्वयन नहीं होने पर आशय पत्र निरस्त किया जाएगा। आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति न होने पर आवंटन आदेश निरस्त किया जाएगा।
(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 13 प्रतिस्थापित किया गया)

14. कार्यक्रम का क्रियान्वयन

- (i) प्रत्येक आवटी को भूमि के जाधिपत्य यहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना क्रियान्वित करनी होगी, इसके साथ-साथ लघु उद्योगों के प्रकरण में एक वर्ष में तथा मध्यम एवं बृहद उद्योगों के प्रकरण ने तीन वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन में जाना होगा। भवन के प्रकरण में भी आवटी को भवन के जाधिपत्य यहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना क्रियान्वित करना होगा इसके साथ-साथ लघु उद्योगों के प्रकरण में 6 माह में तथा मध्यम एवं बृहद उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के भीतर उत्पादन में जाना होगा।
- (ii) यह समय सीमा अवलीत होने के पश्चात निम्न पूर्ति होने के बाद ही आवटन प्राधिकारी 6 माह का समय बढ़ा सकेगा तथा इसके पश्चात पुनः निम्न पूर्ति कर 6 माह का समय बढ़ाने का अधिकार प्रशासनवर्ती उच्च प्राधिकारी को होगा। इसके पश्चात समय दृष्टि कर कोई अधिकार नहीं होगा।
- क. सन्यावधि बढ़ाने हेतु विशेष कारण बताना होगा।
- ख. आवटी को दण्ड स्वरूप 50 प्रतिशत प्रब्लाजि देय होगा।

15. पट्टे की अवधि

सामान्यतः पट्टे की अवधि न्यूमि के लिये 99 वर्ष तथा भवनों के लिए 30 वर्ष होती है। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के जापन क्रान्तकारी 15/60/96/11/डी. दिनांक 13.8.97 से दिनांक 2.7.94 के प्रभाव से नियम 15 जोड़ा गया।

16. सहायक प्रयोजन हेतु आवटन

- (i) औद्योगिक बैंक/स्ट्राईन आदि में कुल आवटन योग्य न्यूमि के 20 प्रतिशत से अधिक भूमि उद्योगों से जन्माया प्रयोजन हेतु आवटित नहीं की जा सकती। साधारणतया केवल उद्योग स्थापना या उद्योग विस्तार प्रयोजन हेतु भवन/भूमि आवटन किया जाएगा। किन्तु जिला योजना समिति उद्योगों के सहायक प्रयोजनों हेतु भी भूमि/भवन आवटित कर सकती। इस नियम के प्रयोजन हेतु उद्योगों के सहायक प्रयोजन का जाशय विद्युत उपकेन्द्र, पेट्रोल पप्प, डाकघर, उद्योग संघ का कार्यालय, जलपानगृह, औद्योगिक भवनों, बैंकों, एस.टी.डी. बूथ, तील काटा, रेलवे साइडिंग, ट्रक पार्किंग, सामुदायिक भवन, सभागृह तथा शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य प्रयोजनों से इस प्रतिबन्ध के साथ है कि ऐसे प्रतिबन्ध अपने जात्याकास के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। ऐसी न्यूमि/भवनों पर किराया व प्रब्लाजि वाणिज्यिक दरों से वसूल होता। वाणिज्यिक दर का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। आगे प्रावधित है कि इन नियमों में अंतर्विट कोई भी प्रावधान औद्योगिक प्रयोजन हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक न होने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार अन्य किन्तु प्रयोजनों हेतु न्यूमि/भवन आवटन के राज्य शासन के अधिकार को तीनित नहीं करेगा।
- (ii) यदि नगर एवं शासन निवेश विभाग अधिवा प्रदूषण निवारण नंडल के द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से किसी औद्योगिक इकाई को वृक्षारोपण करने के लिए शर्त रखी जाती है तो उसे उद्योगों के सहायक प्रयोजन मानते हुए वाणिज्यिक दरों पर भूमि आवटित की जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन हेतु न्यूमि का आवटन तब किया जाएगा, जबकि इस हेतु न्यूमि का आधिपत्य न करना हो तथा विभाग के पात्त इस प्रयोजन हेतु न्यूमि उपलब्ध हो। यदि इकाई द्वारा उक्त न्यूमि पर भवन आदि का निर्णय किया जाता है तो उक्त भूमि का आवटन निररत कर दिया जाएगा।
- (iii) औद्योगिक अधोसंरचना ने निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिला योजना समिति उद्यमियों/विकासकर्ता को वात्पत्तेकर अधिवा भवन के निर्माण हेतु विकसित भूमियां बृहद एवं मध्यम उद्योग हेतु प्रचलित प्रब्लाजि पर आवटित कर सकती। इस हेतु उद्यमी, विकासकर्ता तथा नुखा नक्काश/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निर्धारित होगा।

17. प्रब्लाजि एवं न्यू-भाटक की दर

भवनों का किराया, न्यूमि हेतु प्रब्लाजि एवं न्यू-भाटक वह होगा जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।

18. किराये का भुगतान

- (i) पट्टेधारी को सम्बद्ध माह का भवन किराया माह प्रारंभ होने के 10 दिवस के भीतर जमिन स्वरूप देना होगा।
 - (ii) किराये का भुगतान जमिनप्रियत अध्यवा पिल्लें रो होने के फलस्वरूप आवंटी को शेष देय किराया राशि पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त दाष्ठिक ब्याज देना होगा।
 - (iii) किराया एवं दाष्ठिक ब्याज देने में जासफल होने पर आवंटी द्वारा आवंटन नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप आवंटन निरस्त करने वाली कार्यवाही की जाएगी।
18. ए निम्न द्वाचे में परिवर्तन करने हेतु जनुमति : इकाई के विस्तार हेतु उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित द्वाचे जो वैधानिक रूप से सक्षम अधिकारी से जनुमोदित हों तो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्यम केन्द्र विस्तार की जनुमति दे सकेंगा। आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 18 ए जोड़ा गया।

19. अन्तरण

- (i) नूमि का आंशिक हस्तांतरण पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।
- (ii) कोई आवंटी आवंटित भवन अध्यवा भूमि व उस पर निर्मित भवन राज्य शासन अध्यवा राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से उन् प्रतिवर्तनों के अधीन जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा आरोपित की जाए के अंतर्गत पुर्वनुमति प्राप्त किए गिना अंतरित अध्यवा अभिहस्ताकित नहीं करेंगा अध्यवा किसी नहीं देगा।
- (iii) हस्तांतरण की जनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी
 - (अ) संपूर्ण भूमि तथ हस्तांतरित होगी जब भूमि आवंटी ने स्थापित उद्योग अंतर्गत परियोजना का 25 प्रतिशत व्यय कर दिया हो।
 - (ब) नये आवंटी को 100 प्रतिशत प्रधानियि जमा करनी होगी तथा प्रदर्शित दर पर यू.एस.जे. देना होगा।
 - (स) राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियां नये आवंटी को हस्तांतरित होगी।
 - (द) वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहीत की गयी इकाई किसी जन्य वा हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण तभी प्रभावशील माना जाए जब वित्तीय संस्थाएं अध्यवा नवीन इकाई राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली लेनदारी का समायोजन कर दें।
 - (ई) उक्त प्रकरणों में भूमि/भवन के पट्टाधिकार के हस्तांतरण के अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को होंगे।

20. बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में अभिहस्तांकन

नारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त तथा अनुसूचित बैंकों के पक्ष में आवंटन प्राधिकारी पट्टेधारी अधिकारों के अभिहस्ताकन की जनुमति दे सकेंगा, किन्तु राज्य शासन का भार सर्वापरि रहेगा। इसी प्रकार की आवश्यक क्षमता अधिनियम 1956 की घासा 4 ए के अंतर्गत घोषित तोक वित्तीय संस्थाएँ/राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित निगम के लिए लागू होंगी।

21. पट्टे का पर्यावरण

- (i) यदि पट्टेधारी/पट्टाधारियों अध्यवा उसके/उनके अंतरिती अध्यवा अभिहस्ताकिती द्वारा पट्टाविलेख की किसी भी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है तब आवंटन प्राधिकारी द्वारा लिखित में पट्टाधिकारियों अध्यवा उसके/उनके अंतरिती अध्यवा अभिहस्ताकिती को सूचना पत्र जारी किया जा सकेगा कि यदि बत/वे यिए गए उल्लंघन का निश्चरण सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर नहीं करते तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा पट्टे का निरस्तीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकेगा कि कंडिका के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन को पट्टाधारियों या उनके अभिहस्ताकिती या अंतरिती के विरुद्ध प्राधिकार या सुधार लागू करने से अन्यथा न रोका गया हो।

- (ii) यदि आवंटी दापिङ्क राडिंग के रूप में 100 प्रतिशत प्रथमित प्रब्लेम जमा करता है तो आवंटन प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एक वर्ष का समय बढ़ा सकता है।

22. अभ्यावेदन (अपील)

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15/60/11/डी/90 दिनांक 10.3.92 से शेड आवंटन नियम 1974 द्वारा 22 की विलोपित कर निम्नानुसार धाराये प्रतिस्थापित की गई है-

- (i) इन नियमों के अंतर्गत सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्ट प्रब्लेम एसा आदेश पारित होने के बाद 30 दिवसों की अवधि के भीतर
- क. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
 - ख. जिला योजना समिति द्वारा आवंटित/नवीनीकृत/निरस्तीकृत निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन को किया जा सकेगा।
 - ग. आवेदक को अभ्यावेदन का नीका केवल एक बार प्राप्त होगा।
- (ii) भूमि/भवन आवंटन नियम, 1974 के पूर्व आवंटित भूमि/भवन के नवीनीकरण/निरस्तीकरण का अधिकार राज्य शासन तथा जिला योजना समिति को होगा।

द्वारा 22 अ- रूप्रेरणा से निर्णय की समीक्षा

इन नियमों में किसी विपरीत बात के अंतर्गत होने तुप्र भी :

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या जिला योजना समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेने तथा ऐसे आदेश पारित कर सकें जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु वर्तमान प्रद्वाविलेख को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का नीका देना आवश्यक होगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से जोड़ा गया।)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक एफ-15-60-90-11-डी

शोपाल दिनांक 01.04.99

आदेश

राज्य शासन एवं द्वारा न.प्र. उद्योग (शेड/प्लाट, भूमि आवंटन) नियम, 1974 में निम्नानुसार संशोधन करता है -

| अनुक्रमांक | नियम की कंडिका क्रमांक | संशोधन |
|------------|--------------------------------------|--|
| 1. | 2(iii)अ | विलोपित किया जाता है। |
| 2. | 2(ii)व | उप उद्योग संचालक के स्थान पर "मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र" प्रतिस्थापित किया जाए। |
| 3. | 2(iii)अ | विलोपित किया जाता है। |
| 4. | 2(iii)व | दस एकड़ से अधिक के स्थान पर "पाच एकड़ (दो हेक्टेयर) ते अधिक" तथा संचालक उद्योग/उद्योग आयुक्त के स्थान पर "जिला योजना समिति" प्रतिस्थापित किया जाए। |
| 5. | 3 आवंटन की पात्रता | निम्न जोड़ा जाए :- "अपराम्परागत विद्युत संयंक्रो को यदि ऊर्जा विकास निगम का अनावश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है तो वे संयंक्र मूलि आवंटन की पात्रता रखें।" |
| 6. | 4 नीलामी हेतु भूमि/ शवन का आरक्षण | निम्न जोड़ा जाए :- "जिला योजना समिति औद्योगिक होत्र/संस्थानों जर्द्दशहरीय औद्योगिक/यातीण कर्मशाला ने निजी होत्र के नाम्यन से शेडों का काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकती।" |
| 7. | 5 आवंटन की प्राधिकिता | प्राधिकिता रावधी पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए :- 1. शत प्रविशत निर्यात आधारित इकाई/नियातक इकाई/अप्रदारी भारतीय की इकाई 2. वृहद एवं मध्यम श्रेणी की इकाई 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी एवं उनकी सहकारी सम्पदा/फर्म/प्राय. लिमि. कम्पनी 4. शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी। 5. भौतिक उद्यमी। प्राधिकिता अन्तर्गत 50 प्रविशत आवंटन प्राधिकिता सूची अनुलेप होना तथा 50 प्रविशत आवंटन फैर-प्राधिकिता सूची के उद्यमियों को होगा। " |

8

6 भूमि का परिमाण

पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है-

1. "निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्गमीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के तीन मुगा तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।
2. निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्गमीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र से दो मुगा तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा। उपरोक्त पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन प्राधिकारी द्वारा यदि दो हेक्टेयर तक भूमि आवंटन है तो जिला योजना समिति की पूर्वानुमति से तथा यदि दो हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन है तो राज्य शासन की पूर्वानुमति से आवंटन कर सकेगा।"

9.

7 आवेदन हेतु आवेदन

निम्न जोड़ा जाए-

"भूमि/भवन आवेदन पत्र आवंटन आदेश के साथ प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत के रूप में आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये बैध होगा। यह अवधि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में बैध आवेदन जमा होने की तिथि से मानी जाएगी। आवेदन शुल्क पर कोई व्याज देय नहीं होगा।"

10.

8 आवेदन के निराकारण की प्रक्रिया

पूर्व प्रावधान विलोपित करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए-

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में बैध आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीकृत किया जाएगा। भूमि/भवन उपलब्ध होने पर प्रकरण का परीक्षण कर पात्र आवेदक को पन्द्रह दिवस में भूमि/भवन आवंटित/अनुशासित किया जावेगा।
2. जब तत्काल रूप से कोई भूखण्ड/भवन उपलब्ध न हो तो उस विधि में दो प्रकार की प्रतीका सूची तैयार की जाएगी जिसने से एक प्रतीका सूची प्राथमिकता श्रेणी की होगी तथा दूसरी सामान्य श्रेणी के उच्चनियों की होगी। एकान्तर पद्धति के आधार पर भूमि/भवन का आवंटन प्राथमिकता श्रेणी की इकाइयों तथा सामान्य श्रेणी के उच्चनियों को होगा। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रथम आवंटन प्राथमिकता सूची से किया जाएगा।
3. सनस्त आवेदन प्रथमतः एक वर्ष के लिये बैध होने तत्पञ्चात आवेदक की स्वेच्छा से ही उसका नाम प्रतीका सूची में रखा जाएगा। तदाशय वही सूचना आवेदक वो एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पूर्व संबलित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को देनी होगी। समयावधि में स्वेच्छा की जानकारी देने के कलश्वरूप पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रब्याजि में से 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 15 प्रतिशत राशि आवेदक को वापस बर उसका नाम प्रतीका सूची से हटा दिया जाएगा।

4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वैध तिथि के उपरांत आवेदक को 15 प्रतिशत प्रबलित पश्याजि वापस करनी होगी अन्यथा वे विलब हेतु उत्तरदायी होंगे।
11. 10 आवेदक द्वारा सटमति सूचित करना
 पूर्व प्रावधान विलोपित करते हुये निम्न प्रतिस्थापित किया जाए।
1. आशय पत्र प्राप्त होने के एक नाह के अंदर आवेदक को चालान के माध्यम से एक वर्ष प्रबलित भू-भाटक तथा पश्याजि जमा करनी होगी, अन्यथा उसका आशयपत्र निरस्त मानते हुये, आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गई आवेदन शुल्क की तम्बूर राशि राजसात कर ली जाएगी।
 2. आवेदक को आशयपत्र प्राप्ति के छ. माह के अंदर इकाई विह पोषित होने पर उसके द्वारा किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाएगी, के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा अध्यवाइकाई त्वयित पोषित होने की दशा में परियोजना अनुसार स्थाई दौजी वेब्लन के 50 प्रतिशत के बराबर देक से शावधि जमा रखीद तैयार करना लोगा जो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक होगी जन्यथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी।
 3. विशिष्ट भूखण्ड/भवन द्रग्मांक अकिल वर ही आशय पत्र जारी किया जाएगा।
- विलोपित नियम 11 को निम्नानुसार जोड़ा जाए।
1. आवेदक द्वारा आशयपत्र की शर्तों की पूर्ति उपरांत आवेटन प्राधिकारी तीस दिवस के अन्दर आवेटन आदेश जारी करेगा।
 2. आवेदक निम्न शर्तों की पूर्ति करे जन्यथा आवेटन निरस्त माना जाएगा तथा उसके द्वारा जमा की राशि राजसात मानी जाएगी।
 - (अ) फन्डल दिवस के अन्दर तीन वर्ष के बराबर भू-भाटक पश्याभूति के रूप में जमा करें तथा भवन के प्रकारण में एक वर्ष का किराया जमा करें।
 - (ब) आवेटन आदेश प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर पट्टाभिलेख निष्पादित कर पंजीकृत करायें।
 - (स) "अ" एवं "ब" कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात सात दिवस के अन्दर नूपुर/भवन का आधिपत्य प्राप्त करें।"

13. 12 जाधिपत्त्य घण्टे करने पूर्व प्रावधान विलोपित कर नियम 12ए को नियम 12 के रूप में पढ़ा जाए।
14. 14 योजना का क्रियान्वयन नियम का भाग 2 समयावृद्धि संबंधित प्रावधान विलोपित करते हुए निम्न अनुसार जोड़ा जाए :-
 "समयावधि व्यतीत होने के पश्चात निम्न अवस्था वा प्रावधान किया गया है :-
 1. समयावधि बढ़ाने हेतु विशेष कारण बताये जायें।
 2. आवटी को दण्ड रखने पर 50 प्रतिशत प्रब्लेम/किराया देय होगा।
 उक्त पूर्व पश्चात आवंटन सक्षम अधिकारी छ. माह का समय बढ़ा सकेना तथा इसके पश्चात पुनः छ. माह का समय बढ़ाने का अधिकार अगले उच्च सक्षम अधिकारी को होगा।"
15. 16 उद्योगों के सहायक प्रयोजन हेतु यहानान निम्न प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाए आवंटन" के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए
 1. जौदोगिक हीन/संरक्षण आदि में कुल आवंटन योग्य भूमि के 20 प्रतिशत से अधिक भूमि सहायक प्रयोजन हेतु आवंटित नहीं की जा सकेगी।
 2. निम्न अतिरिक्त सहायक प्रयोजन सम्मिलित किये जायेः
 ऐस.टी.डी. बूथ, तौलकांटा, रैल्य साईंडिंग, ट्रक पार्किंग, सामुदायिक नवन, सभाघर, शासन द्वारा समय-समय पर धोषित अन्य प्रयोजन।
 3. ऐसे भूमि/भवन पर किराया, प्रब्लेम एवं भू-माटक वाणिज्यिक दरों से वसूल होंगा। वाणिज्यिक दरों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
 4. यदि नगर एवं घास निवेश विभाग अधिका. म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल के द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से किसी जौदोगिक इकाई की दृक्षारोपण कराने के लिये शर्त रखी जाती है तो उसे उद्योग के सहायक प्रयोजन मानते हुये वाणिज्यिक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन तब किया जाएगा जब की इस हेतु निजी भूमि का अधिवरण न करना ही तथा विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध हो। यदि इकाई द्वारा उक्त भूमि पर भवन आदि का निर्माण किया जाता है तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

5. औद्योगिक जघोसरंचना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिला योजना शिक्षित, उद्यमियों/विकासकर्ता को काम्पनेकर्स अध्यया चवन के निर्माण हेतु विकासित भू-खण्ड वृहद एव सम्बद्ध उद्योग हेतु प्रचलित प्रब्लेम्स पर जावेंटित करें। उक्त हेतु उद्यानी, विकासकर्ता तथा मुख्य/महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र के मध्य एक विपक्षीय अनुबंध निष्पादित होगा।
16. 18 किराये का भुगतान वर्तमान प्रावधान के नीचे निम्न जोड़ा जाये:-
1. किराये का भुगतान अनियमित अध्यवा दिलच्छ से होने के कलरचरुप आवटी को शेष देय किराया राशि पर 24 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दार्पणिक ब्याज देना होगा।
 2. किराया एव दार्पणिक ब्याज देने में असफल होने पर आवटी द्वारा आवंटन नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके कलरचरुप आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
17. 18ए-“निर्मित ढाँचे में परिवर्तन” नियम 18 के नीचे “18ए” निम्न अनुसार जोड़ा जावे:-
- “1. इकाई के विस्तार हेतु उद्यानी द्वारा प्रत्यक्ष अधिकारी से अनुमोदित हो तो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र विस्तार की अनुमति दे सकेगा।”
18. 19 अंतरण पूर्व प्रावधान को खिलोपित करते हुये निम्न जोड़ा जाए :-
1. भूमि का आविक हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
 2. हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी
 - (अ) सापूर्ण भूमि तब हस्तांतरित होगी जब मूल आवटी ने स्थापित उद्योग अंतर्गत परियोजना का 25 प्रतिशत व्यय कर दिया हो।
 - (ब) नये आवटी को 100 प्रांतीशत प्रब्लाजि जमा करनी होगी तथा प्रचलित दर पर भू-माटक देय होगा।
 - (स) राज्य सरकार की मूल आवटी से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियाँ नये आवटी को हस्तांतरित होगी।
 - (द) विशेष संस्थाओं द्वारा अधिगृहित की गई इकाई किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर हस्तांतरण तभी प्रभाव-शील माना जाए जब विशेष संस्थाएं अध्यवा नवीन इकाई द्वारा राज्य शासन की मूल आवटी से प्राप्त होने वाली लेनदारी का समायोजन करें तथा हस्तांतरण संबंधी समस्त शर्तों का पालन नवीन इकाई द्वारा कियो गया हो।

- (इ) उक्त प्रकरणों में भूमि/भवन के पहाड़िकार के टस्टातरण के अधिकार मुख्य मणप्रबंधक/मणप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास होगे।"
19. 20 "बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में अभिहस्तातरण"
- पूर्व प्रावधान विलोपित कर निम्न जोड़ा जाए:-
- "भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त तथा अनुसूचित बैंकों के पक्ष में जावंटन प्राधिकारी पट्टेदार अधिकारी के अभिहस्तात्कान की अनुमति दे सकेगा, किन्तु राज्य शासन का भार सर्वोपरि रहेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था कम्पनी अधिनियम, 1956 की घासा 4(ए) के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थाओं/राज्य विच निरन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत स्थापित निम्न के लिये लागू होगी।"
20. 22 अभ्यावेदन
- पूर्व प्रावधान का भाग-2 निम्न अनुसार पढ़ा जाए:-
- "मुख्य मणप्रबंधक/मणप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित आदेश के विलक्ष्ण तीस दिवस में अभ्यावेदन जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला योजना समिति द्वारा आवंटित/नवीनीकृत/निरस्तीकृत निर्णय के विलक्ष्ण तीस दिवस में अभ्यावेदन राज्य शासन को किया जा सकेगा। आवेदक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का भौका केवल एक अवशार पर प्राप्त हो सकेगा।"
2. भूमि/भवन आवंटन नियम 1974 के पूर्व आवंटित भूमि/भवन के नवीनीकरण/निरस्तीकरण का अधिकार जिला योजना समिति वो होगा।"
21. 22 अ- रवप्रेरणा से निर्णय
- पूर्व प्रावधान के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है:-
- "राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या जिला योजना समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकते तथा ऐसे जादेश पारित कर सकते जैसा कि वह उधित समझे, परन्तु पट्टाविलेख के निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रसाधित पक्ष को चुनवाई का भौका देना आवश्यक होगा।"

- 2/ शेष नियम यथावत रहेंगे।
3/ यह आदेश दिनांक 14.99 से प्रभावशील होंगा।

राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार,

(एम.एस. भगोत्रा)

झरूरी सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

क्रमांक एफ-15-60-90-11-डी

नोंदाल, दिनांक 01.04.99

प्रतिलिपि :-

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विविध विभाग
 2. महालेखाकार (लेखा एवं टकदी) म.प्र. बालियर।
 3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) म.प्र., मोरी महल बालियर।
 4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, नोपाल।
 5. समस्त जिला वालेक्टर।
 6. प्रबंध सचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्बोरेशन, महाराणा प्रताप नगर, नोपाल।
 7. समस्त प्रबंध सचालक, औद्योगिक वैन्ड्र विकास निगम।
 8. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र।

जवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

आवेदन पत्र 1 (ए)

जीवोंगिक क्षेत्र में भूमि या जीवोंगिक संस्थान/अर्द्ध-शहरी जीवोंगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/भदन का आवेदन (स्वामित्विक उद्योग हेतु)

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक के पिता का पूरा नाम
3. आवेदक की आयु
4. आवेदक का पूरा पता (साक अंदारों में तरलील/ज़िले के नाम के साथ)

5. आवेदक का कर्मानन् व्यवस्था
6. (अ) उद्योग का नाम
- (ब) उद्योग के प्रकार का कृपया विस्तृत विवरण दिया जाय। यह भी निर्दिष्ट करे कि उद्योग किस क्षेत्री में आता है :
 - (I) निर्माण
 - (II) भौमिक
 - (III) प्रसंस्करण
 - (IV) संरक्षण
 - (V) अन्य क्षेत्री
7. उद्योग हेतु चयनित रथल (क्या नवीन इकाई है अथवा क्या विद्यान कार्यरत इकाई है तो सनीपरथ स्थल के बारे में विवरण दें)
8. उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पाद और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक कार्रवाई दें (कृपया उल्लेखित करें)

9. आवेदक को शामिल कर (इकाई ने) तीव्रायीजित होने वाले कुल कर्मचारी
10. नियंत्रित की जाने वाली पूँजी का विवरण, शेंड/मध्यन, मशीनाएं एवं उपकरण के मूल्य, कार्यशील, पूँजी आदि के लिए पृष्ठक से

| | |
|---|------------|
| (अ) भूमि | रपये |
| (ब) भवन | रपये |
| (स) संयंत्र की मशीनरी तथा उपकरण | रपये |
| (द) पूर्व परिचालन एवं अन्य रक्षायी परिस्थितियाँ | रपये |
| कुल स्थायी परिस्थितियाँ | रपये |
| (इ) कार्यशील पूँजी (तीन माह हेतु) | रपये |
| कुल योग | रपये |
11. नियंत्रित की जाने वाली राशि (नवीन इकाई/विस्तारित इकाई)

| | |
|-----------------------------|------------|
| (अ) आवेदक द्वारा | रपये |
| (ब) अन्य स्तोतरों के द्वारा | रपये |
| कुल योग | रपये |
12. (अ) यदि लम्ब रक्त की इकाई है तो उद्योग विभाग ने पंजीयन का छानाक एवं दिनांक दो। प्रमाणित प्रतिलिपि और योजना की प्रतिलिपि भी शालेन करें।

- (ब) यदि बुद्ध या मध्यम इकाई है तो तकनीकी विकास महानिदेशक भारत शासन के साथ तुएं फ़ंजीयन, भारत शासन से प्राप्त आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/भारत शासन के साथ फ़ाइल किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.इ.एस.) की प्रमाणित प्रतिलिपि है।
13. इकाई की श्रेणी
 (अ) 100 प्रतिशत नियंत्रित जाधारित/गिर्यालक/जप्रवासी भारतीय इकाई
 (ब) बृहद और मध्यम श्रेणी की इकाई
 (स) अनुसूचित जाति/जनजाति या उनकी सहकारी समिति के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई
 (द) शारीरिक लघु से निश्चय (विकलांग) उद्यमी
 (इ) नहिला उद्यमी
 (फ) उक्त में से कोई नहीं
14. विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि.वा / मे.वा में)
15. पानी की आवश्यकता (किलो-लीटर) प्रतिदिन अनुसार कृष्या अंकित करें
16. भूमि की आवश्यकतावर्ग मीटर
 (अभिन्नदाल को कमड़ा-काकड़ पर दें)
17. प्रस्तावित आचारित/शेड वीज का विस्तृत माप विवरण
 (अ) कारखाने का शेडवर्गमीटर
 (ब) गोदान (भण्डार गृह)वर्गमीटर
 (स) कार्यालयवर्गमीटर
 (द) जन्य (निर्दिष्ट करें)वर्ग मीटर
 कुलवर्ग मीटर

घोषणा

- नेएक द्वारा सम्बन्धित से पुष्ट करता/करती हू कि आवेदन में घस्तुत विए ए उपरोक्त विद्युत जल्हा तक में जलनाल/जानकी हू और गमनाल/गमनकी हू रख्य है।
- नेएक द्वारा सम्बन्धित से पुष्ट करता/करती हू कि नने न.प्र. उद्योग (शेड/प्लाट, नुपी जलनाल) नियम 1974 जिसे सम्प-सम्प पर संसोधित किया गया है, को पढ़ा है और उसका पूछ जान है तथा ने जल नियमों का पूर्ण जलन करना/करनी।
- नेसभी सम्बद्ध विभागों/प्राधिकारियों से सभी जलवायक अन्वयी प्रणाल वर/रहनाल इकाई प्राप्त करने से पूर्ण विधि/ वैधानिक नियमों द्वारा राज्य-राज्य पर याहे अनुसार प्राप्त करना/करनी।
- नेने एवं(एवं(प्रतिलिपि संलग्न) बैक / द्वेषी का नाम (.....) जलसीकन करें वालान जलालविनाक(प्रतिलिपि संलग्न) बैक / द्वेषी का नाम (.....)

रण्यान

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

आवेदन पत्र 1 (बी)

ओद्योगिक होत्र में भूमि का आवेटन और ओद्योगिक संस्थान/जर्ड-शहरी ओद्योगिक संस्थान/यामीण कर्मशाला में
शेड/भूमि का आवेटन (साझेदार कर्म अधिकारी समिति अथवा सार्वजनिक/गिजी न्यायिक कंपनी हेतु)

1. ओवेटक उद्योग यह पूरा नाम
(कर्म या कंपनी का नाम)
2. (अ) ओवेटक का पूरा नाम एवं पता (राज्यद्वारा तहसील/ज़िले के नाम के साथ)

.....
(ब) ओवेटक का कर्म/कंपनी में स्थान ..
(कृपया विधिवत् रूप से पंजीकृत न्यायिक अधिकार पत्र (मुख्यालय या बंडल प्रस्ताव की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए।)

3. यदि ओवेटक एक साझेदार व्यावसायिक कर्म/न्यायिक कंपनी है तो निम्न जानकारी देनी होती

| साझेदारों/ संचालकों के नाम | पिता/पति का नाम | पूरा पता | प्रत्येक साझेदार/ संचालक का वर्तमान व्यवसाय | कर्म के साझेदार/ संचालक की आय | प्रत्येक साझेदार/ संचालक का अंश | प्रत्येक साझेदार/ संचालक की जाने वाली पूँजी | यदि साझेदार/ संचालक एक दूसरे के निवेशित की जाने |
|----------------------------------|--------------------|----------|---|--|---------------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

4. उल्लेख करें कि साझेदार व्यावसायिक कर्म का भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हुआ है या नहीं। यदि हाँ तो
पंजीयन क्रमांक और दिनांक का उल्लेख करें और पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

5. उल्लेख करे कि नाड़ोदारी विसेख का लेखकरण हुआ है या नहीं। यदि है तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें। उल्लेख करे कि नाड़ोदारी विसेख का पंजीयन हुआ है या नहीं, यदि है तो पंजीयन द्वारा किसके द्वारा किसी विवरण द्वारा जारी किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करें।
6. (अ) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्कृत कंपनी का पंजीयन द्वारा किए गए दिनांक दो। पंजीयन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। यदि लहड़ारी सन्मिलित है तो पंजीयन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जमा करें।
7. आवेदक उद्योग की शेषी का कृपया विस्तृत विवरण दो। यह भी निर्दिष्ट करें कि उद्योग किस शेषी में जाता है :
- निर्माण
 - सहमति
 - प्रसरणकरण
 - संरक्षण
 - अन्य शेषी
8. उद्योग हेतु चयनित स्थल (यथा नवीन इकाई है अथवा वया विद्यमान/कार्यरत इकाई है तो सभीप्रथम स्थल के बारे में विवरण दें)
-
9. उद्योग द्वारा निर्मित किए जाने वाले उत्पाद और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक क्षमता कृपया उल्लेखित करें।
-
10. उद्योग में सेवायोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या
11. उद्योग में नियोजित की जाने वाली पूँजी का विवरण - शेष, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य, व्हायशील पूँजी जादि के लिए पूरक रो
- | | |
|--|-------------|
| (अ) शृंगि | रूपये |
| (ब) भवन | रूपये |
| (स) संयंत्र वा मशीनरी तथा उपकरण | रूपये |
| (द) पूर्व परिचालन एवं अन्य स्थायी परिसम्पत्तियाँ | रूपये |
| कुल स्थायी परिसम्पत्तियाँ | रूपये |
| (इ) कार्यशील पूँजी (तीन माह हेतु) | रूपये |
| कुल योग | रूपये |
12. नियोजित की जाने वाली राशि (नवीन इकाई/विस्तारित इकाई)
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| (अ) आवेदक द्वारा | रूपये |
| (ब) अन्य स्वीकारकों के द्वारा | रूपये |
| कुल योग | रूपये |
13. यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग में पंजीयन का द्वारा किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ दो। यदि मध्यम या वृहद स्तर की इकाई है तो तकनीकी विकास नहानिदेशक, भारत शासन के साथ हुए पंजीयन द्वारा किए गए और दिनांक/माहत शासन का जाशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/भारत शासन के साथ फाइल किए गए औद्योगिक उद्योग ज्ञापन (आई इ.एम.) की प्रमाणित प्रतिलिपि दो।
14. इकाई की शेषी
- | |
|--|
| (अ) 100 प्रतिशत नियोजित आधारित/नियोजित/अप्रधारी भारतीय इकाई |
| (ब) वृल्द और मध्यम इकाई |
| (स) अनुशूलित जाति/जनजाति उनकी लहड़ारी सन्मिलित के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई |
| (द) शारीरिक रूप से निशक्त (विवलाग) उद्योग |

- | | | |
|--|-------|-----------|
| (इ) महिला उद्यमी | | वर्ष मीटर |
| (फ) उक्त में से कोई नहीं | | |
| 15 अनुमोदित योजना/परियोजना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दा। | | |
| 16 विस्तृत शधित की आवश्यकता (फ़ि.वा./से.वा. न) | | |
| 17 पानी की आवश्यकता (फिल्मो लीटर परिवेदिन अनुसार कुप्रगत अधिन करें) | | |
| 18 भूमि की आवश्यकता दर्मीटर (अभिन्न्यास को कल्पा- कागज पर दा) | | |
| 19 प्रस्तावित आचारणित/डैड सेक्र का विस्तृत आप विवरण | | |
| (अ) कारखाने का होड | | वर्ष मीटर |
| (ब) गोदान | | वर्ष मीटर |
| (स) कर्त्त्यालय | | वर्ष मीटर |
| (द) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | वर्ष मीटर |
| कुल | | वर्ष मीटर |

ધોઅળા

१. नी/एम पृष्ठ, द्वारा सामग्रियों ने पूछ करता कहता हुआ कहता है कि आवश्यक न प्रस्तुत किए गए उपरोक्त विषयों जटा तक मैं एम जानता/जानकी हूँ/जल्दते हैं और मानता/मानदौ हूँ, मानते हैं तथा हैं।
 २. नी/एम पृष्ठ, द्वारा सामग्रियों ने पूछ करता कहता हु कहता है कि मैंने अभी न प्र. उद्योग (सेवा) प्रबन्ध भूमि आवश्यक) विषय १९७४ जिसे सम्बन्ध-सम्बन्ध या समीक्षित किया है, तो क्या यह है और नवाचार पूछ आता है तथा मैं एम उक्त विषयों का पूछ आवश्यक सम्बन्ध/क्षमता/क्षमता।
 ३. नी/एम राजी लाप्त कियागा-प्रतिक्रियाएँ तो सभी आवश्यक अनुच्छेद प्रणाले वर्ग- सामग्री इकाई घारें करते हैं पूछ विषय/कैपालिक विकासी द्वारा सम्बन्ध-सम्बन्ध पूछ करते अनुसार प्राप्त क्षमता कल्पी करते।
 ४. नी/एम मैं राज्यमें (राज्य) आवश्यक सुनकर लाप्त किया है कि आवश्यक कर चलाने क्षमता विकास (प्रतिक्रिया सम्बन्ध) वैक द्वारा कर नाम

संग्रहालय

आयोद्धा के हस्ताक्षर

दिनांक

प्रारूप 2

आशय पत्र

दिनांक दिनांक

प्रति,

मेरीर्दा

.....

विधय जीवोगिक केंद्र/सत्यान में भूमि/भवन का आवंटन संबंधी आशय पत्र

सदर्ने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया गया आपका आवंटन
द्वारा दिनांक

महोदय/महोदया,

आपके सदर्नित आवंटन के सदर्ने में आपको जीवोगिक केंद्र/सत्यान में

दोत्रफल का प्लाट/शेड क्रमांक आवंटित करना प्रस्तावित है, जो विशेषतः इस प्रकार वर्णित है :-

1. इस अंदेश के पावती दिनांक से एक माह के भीतर आप कुल जमा राशि राखें मात्र की प्रथाजि और एक दर्ज का पट्टा किराया राखें मात्र द्वारा यालान के द्वारा जो नीचे दर्शाएं गए निर्दिष्ट फर्मा और लेखा शीर्ष के अनुरूप रैखर किया गया है, जमा करें।

लेखा शीर्ष

2. इस आशय पत्र के पावती दिनांक से छह माह के भीतर आप इकाई के वित्त पोषण तेतु जपने द्वारा किए गए सुनिश्चित व्यवस्थाओं का प्रमाण प्रस्तुत करें। वित्त पोषण हेतु विवर गए सुनिश्चित व्यवस्थाओं का प्रमाण इस प्रकार हो सकता है -

(i) विशेष संस्थाओं से स्वीकृति पत्र

(ii) बटि इकाई स्वयंत्र पांचित है, ली इनका प्रमाण

(अ) रघावी परिस्तप्तियों के सम में अनुमानित पेट्टन का 50 प्रतिशत फिर्ती बैंक के साथ साझित जगा में जावधि हेतु जमा राशि की सावधि जमा रसीद को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक रखल्य रखा जाएगा। इकाई ने अनुमानित रघावी परिस्तप्तियों का 50 प्रतिशत विशिष्ट किया है, इसका सत्यापन प्राप्त करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित महाप्रबंधक सावधि जगा की रसीद विनुक्त करेगा।

(ब) परिस्तप्तियों का प्रमाण जो परियोजना लागत को पूरा कर शकते हैं।

(ग) आवंटन अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि योग्य अन्य कोई प्रमाण

3. आशय पत्र की पावती के एक माह के भीतर उपरोक्त भूमि के लिए आपनी सहमति प्रारूप 3 में दि

4.

5.

यदि आप आशय पत्र की प्राप्ति से उपर निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर शर्त क्रमांक (1) और (2) को पूरा करने में छुटते हैं, तो आशय पत्र स्वयमेव निरस्त माना जाएगा और आपके द्वारा जगा की गई पट्टा किराया सहित प्रथाजि का प्रतिशत राशि राजसात की जाएगी। विभाग द्वारा कोई और दावा मान्य नहीं होगा।

संलग्न : सहमति प्रारूप 3

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

जिला

प्रारूप 3

सहमति पत्र

आक्षय पत्र के द्वारा आवंटन अधिकारी द्वारा सूचित किए गए पत्राट/शेड के प्रस्तावित आवंटन को स्वीकार करने हेतु
सहमति प्रारूप

म/हम आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी इसके जागे आवेदक ने
सम्बाधित (जिसमें उनके/उनकी वारिश, उत्तराधिकारी, साझेदार, सचालक समाहित होंगे) को आवंटन अधिकारी ने पढ़ा देना
स्वीकार किया है, जो पछा विलेख जिसे निर्देश भूमि/शेड द्वारा देना
देंत्र के सेक्टर में, लखनऊ
अनुसूची में तथा और स्थानीकरण हेतु एतद संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं उस पर दर्शाए गए परिसीमाएं लाल रंग में हैं
(इतने जारी "उक्त परिसर" से निर्हिट) का लेख्यकरण किया जाना है, को उद्योग स्थापना हेतु और/या
के उद्देश्य हेतु/के निर्माण हेतु आवेदक को भूमि/शेड का स्वामित्व देने के दिनांक से 99/30 वर्ष की अवधि के लिए उक्त पढ़ा
विलेख के शर्तों व प्रतिबंधों के बारें होगा।

और जबकि म/हम
मेंसर्ट जी और से इसके स्वामी/साझेदार/निवेशक के रूप ने आशय पत्र
द्वारा दिनांक और मध्यपृष्ठ उद्योग (शेड, प्लॉट और भूमि आवंटन)
नियम 1974, समय-समय पर यथा संकीर्ण, के शर्तों और प्रतिबंधों का पालन करना/करें।

आवेदक,
पत्राट/शेड के आवंटन हेतु आशय पत्र का धारक
दिनांक

प्रारूप 4

आवंटन आदेश

क्रान्तीकरण

दिनांक

प्रति,

महाराजा

.....

विषय : जीवोंविकास केंद्र/संस्थान में भूमि/शेड का आवंटन

संदर्भ : आशय पत्र क्रमांक दिनांक और आपकी सहमति
दिनांक

महोदय/महोदया

उपरोक्त आशय पत्र के संदर्भ में आपने लघुत्तम निर्दिष्ट प्रब्लाजि चालान ध्वनांक
दिनांक से जमा किया है, साथ में आपने अपेक्षित एक वर्ष/एक साल का
अग्रिम किराया भी जमा किया है और आशय पत्र क्रमांक दिनांक में
उल्लेखित अन्य शर्तों को भी पूरा करने पर आपको एतद् द्वारा एक भूमि/शेड क्रमांक
माप वा (संलग्न दस्तावेजों में अतिविशिष्ट रूप से वर्णित) आवंटन आपके द्वारा सहमत शर्तों व
नियमों पर किया जा रहा है।

अनुरोध है कि आप

- (1) आवंटन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भूमि के तीन वर्ष के वार्षिक किराये/शेड के एक वर्ष के वार्षिक किराए के समतुल्य राशि रखें सात्र प्रत्यान्हृति जना रखें तभी करें।
- (2) आवंटन आदेश के पावरी के 30 दिनों के भीतर पहुँचिलेख का छिलेच्छकरण और चंडीयन करायें।
- (3) उपरोक्त (1) और (2) के पूर्ण होने के तात दिनों के भीतर भूमि/शेड का आधिपत्य गत्पूरण करें।
- (4) घ्यान रखें कि यदि आप उपरोक्त दराएं गए निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त शर्तों (1) (2) और (3) को पूरा करने में असाकल ठोके हैं, तो आवंटन आदेश रखयन्नीव निरत साना जाएगा और आपके द्वारा जना पड़ा किराया व प्रत्यान्हृति जमा राहित प्रब्लाजि राजसाल साना जाएगा तथा विभाग द्वारा इसके जाने कोई और दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : पड़ाविलेख का प्रारूप (अनुत्तमी - 5)

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जिला

अनुसूची पाँच

(दिनांक 01.04.99 से चथा भशोधित)

(ओट्योगिक कोत्र/संस्थान में भूमि और ओट्योगिक संस्थान में भवन/बेड दोनों के लिए समान पट्टाविलेख का संशोधित प्रपत्र)

(भूमि एवं भवन हेतु उम्मयिष्ठ) इस विलेख को वर्ष के माह के दिन एक पक्ष में सद्यप्रदेश के राज्यपाल, जो के साध्यम से (जो इसके आरे "पट्टावाता" कहलायेंगे और जहां संदर्भ में स्वीकार्य हो, उनके पद का उत्तराधिकारी इस अभिव्यक्ति में समाहित होगा) और दूसरे पक्ष में मेसरी जो क्षी/क्षीमती/सुश्री भालूज/लालूजा श्री के मात्र म से में वजीकृत कार्यालय (जो इसके आरे "पट्टायीता" कहलाएगा और जहां संदर्भ में स्वीकार्य हो, उनके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों तथा अनुसन्त उन्तरीकी इस अभिव्यक्ति में समाहित होगे) के सद्य निष्पादित किया गया है।

* (भूमि हेतु)

चूंकि पट्टायीता के निवेदन पर पट्टावाता ने पट्टायीता को, इसके आरे निविट शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यादीन ओट्योगिक कोत्र/संस्थान में सिध्त भूमि के उस भाग को, जिसका कोत्रफल लगाया वर्गीटर या इसके समतुल्य है, जो ग्राम/इकाई में तहसील में जिसे ने अवधित है, जो इसमें संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं जिसे लाल रंग की परिसीमाओं के साथ चर्चाया गया है (इसके आगे "उक्त भूमि" से निविट) को निव्यानबे वर्ष की समयावधि जो (दिनांक) से आरं तीकर (दिनांक) वो समाप्त होगी, जिसे इस उद्देश्य हेतु कि उस पर कारखानों का निर्माण और स्थापना, के उत्पादन के लिए और उसके सहायक उद्देश्य के लिए किया जाएगा (इसके आगे "उक्त व्यवसाय" से निविट) को पढ़े पर देने के लिए सहमत है।

* (भवन हेतु)

चूंकि पट्टायीता के निवेदन पर पट्टावाता ने पट्टायीता को, इसमें अतिविट शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यादीन, उस भूमि के भूखण्ड को, जो ओट्योगिक संस्थान/कोत्र में सिध्त है, जिसका कोत्रफल लगभग वर्ग मीटर है, उस पर निर्मित भवन सहित, जिसका भवन क्रमांक है, जो इसमें संलग्न अनुसूची ने विशेष रूप से वर्णित है तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं जिस पर लाल रंग की परिसीमाओं के साथ दर्शाया गया है (इसके आगे "उक्त परिसर" से निविट) को उद्देश्य हेतु पट्टायीता को इसका आधिपत्य देने के दिनांक से तीस वर्ष की समयावधि हेतु पढ़ा देने के लिए सहमत है।

(भूमि एवं भवन हेतु उन्नयनिष्ट) और दूसिंह पट्टारकीता उक्त शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन पट्टा यत्न करने हेतु तहमत है। अब, इसलिए, यह विलेख साक्षी है और यह एतद् द्वारा निम्नानुसार सहमत और घोषित है:

(भूमि एवं भवन हेतु उन्नयनिष्ट) 1. पव्याजि और भू-भाटक (नूने हेतु) और किराया (परिसर हेतु) जो इसमें आरक्षित हैं एवं पट्टारकीता के वह में यहाँ लगातार संविदा के दृष्टिगत, पट्टादाता पट्टारकीता को भूमि तरसातरण करेगा और पट्टारकीता उक्त भूमि/भवन को के उद्देश्य हेतु वर्ष की अवधि के लिए जो उस दिनांक से जब उक्त भूमि/परिसर का आधिकार्य पट्टारकीता को दिया गया हो, से प्रारम्भ होगा, कर पहुँचीकार करेगा।

*(भूमि हेतु) 2. पट्टारकीता पट्टादाता को उक्त भूमि हेतु एक वर्ष के लिए अधिकम भू-भाटक और रूपये नात्र का प्रव्याजि, जैसा कि मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि के आवरण) नियम 1974 (इसके बाद से "उक्त नियम" से निर्दिष्ट) के अध्याधीन निर्धारित है और तीन वर्ष का भू-भाटक प्रत्याभूति जमा के रूप में, इस विलेख के लेख्यकरण के तीस दिवस के भीतर भुगतान करने के तत्पश्चात् पट्टे की अवधि यावत् पट्टारकीता, पट्टादाता को रूपये (रूपये) नात्र का वार्षिक भू-भाटक और ऐसी जन्य राशि जो कि एतद्वीन केंद्रिका 3 के अनुसम्म निर्धारित किया गया हो, प्रति वर्ष जनवरी माह के दसवें दिवस या इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्यालय या ऐसे स्थान या स्थानों जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के समय-समय पर निर्दिष्ट कर, में राशि का भुगतान करेगा।

*(भवन हेतु), पट्टारकीता पट्टादाता को उक्त परिसर के लिए, उक्त नियमों के अध्याधीन निर्धारित अप्रिय किराये का भुगतान करने के पश्चात्, वह पट्टादाता को उक्त परिसर के लिए एक वर्ष का किराया प्रत्याभूति जमा के रूप में इस विलेख के लेख्यकरण के तीस दिवस के भीतर भुगतान करेगा। तत्पश्चात् पट्टे की अवधि यावत्, पट्टारकीता, पट्टादाता को रूपये (रूपये) नात्र का मासिक किराया प्रत्येक केलेपट्टर माह के दसवें दिवस या इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्यालय या ऐसे स्थान या स्थानों जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक समय-समय पर निर्दिष्ट कर, में राशि का भुगतान करेगा।

(भूमि एवं शेड हेतु उन्नयनिष्ट) 3. यदि भूमि/परिसर का वार्षिक/मासिक किराया या उसका कोई भी भाग मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा दिनांक निर्धारित करने के पश्चात् से एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो यह किराया 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करना होगा।

*(भूमि हेतु) 4. प्रतिवर्ष का भू-भाटक रूपये (रूपये) नात्र इस विलेख के विलेख्यकरण दिनांक से 10 वर्ष की समाप्ति पर और तदन्तर प्रत्येक 10 वर्षों के जन्मानुष के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ है कि यह वृद्धि प्रत्येक जनसार पर पूर्वदर्ती 10 वर्षों के लिए निर्धारित किए गए किराये के एक-चारों तो अधिक न हो। भू-भाटक के ऊर्ध्व संशोधन के परिणामस्वरूप, पट्टारकीता एतद् द्वारा ऐसी सूचना के तीस दिवस के भीतर प्रतिभूति जमा की जन्मतर राजि जमा करने को सहमत है।

*(भवन हेतु)

उपर कड़िका 2 में उल्लेखित किए गए मासिक विराये का समय-समय पर पुनरीक्षण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि किसी एक समय पर किराये की वृद्धि पुनरीक्षण के समय पर देय छिट्ठा से 30 प्रतिशत से अधिक न हो। विराये के उच्च संशोधन के परिणामस्वरूप पट्टायहीता एवं द्वारा ऐसी सूचना के तीस दिवस के भीतर प्रतिभूति की अन्तर राशि जमा करने को सम्भव है।

(भूमि एवं भवन हेतु उम्यनिष्ठ)

5. पट्टायहीता तम्य-समय पर और पहुँच की जबायि यावत् प्रत्येक समय पर सारी कर, दर, निर्धारण और अन्य प्रभाव व बाय उपर्युक्त को छोड़कर, जो इसके बाव विस्तीर्णी समय पर उक्त जबायि यावत्, उक्त भूमि/परियोजना पर, यदि वह पट्टायाता हो या पट्टायहीता, पर निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किया जाता है या जा सकता है, का भुगतान एवं निर्वहन करेगा।

*(भूमि हेतु)

6. (अ) पट्टायहीता एवं द्वारा सामन है कि वह भूमि पर अपना आधिपत्य यांत्र तरने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर, लघु उद्योग के प्रकरण में, और तीन वर्ष की अवधि के भीतर, सम्यन एवं बृहद उद्योग के प्रकरण में, परियोजना का क्रियान्वयन करेगा और उत पदन में जाएगा।

(ब) यदि पट्टायहीता ऊपर दिए गए शर्त 6 (अ) का अनुपालन करने में असफल होता है तो पट्टायहीता के पास प्रतिविधान है कि वह पट्टायाता से और छह माह के समय वी अनुमति स्वीकृत कराये और इसके बाद और छह माह के समय के लिए आवटन अधिकारी के उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती।

प्रत्येक अवसर में पट्टायहीता को प्रव्याजि की 50 प्रतिशत राशि दण्ड स्वरूप पट्टायाता को देनी होती।

*(भूमि हेतु)

7. पट्टायहीता एवं द्वारा स्वीकार करता है कि वह इसके अंतर्भृत पहुँच पर प्रदान की गई संपूर्ण भूमि का परियोजना के क्रियान्वयन के लिए या उसके विस्तारीकरण के लिए, लघु उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष और मध्यम व बृहद उद्योग के प्रकरण में पांच वर्ष की अवधि के भीतर, उपरिलेखित उद्देश्यों हेतु उपयोग करेगा।

*(भूमि हेतु)

8. पट्टायहीता यह भी स्वीकार करता है कि उसको पहुँच पर प्रदान की गई संपूर्ण भूमि का यदि वह कड़िका 6 और 7 में निर्धारित की गई अवधि के भीतर उपयोग करने में असमर्थ है, तो पट्टायाता को, उसको अपने प्रकरण का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात, उपयोग में लाई जा रही भूमि में, यिन्होंने भूमतान या कातिपूरि दिए, पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा।

*(भूमि हेतु)

9. पट्टायहीता पट्टायाता या या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को, सन्य-समय पर उक्त निर्माण हेतु योजनाओं और निर्दिष्टों को लिखित में प्रस्तुत करेगा, जो कि पट्टायाता द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं निर्दिष्टों के अनुरूप होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उम्यनिष्ठ)

10. पट्टायहीता उक्त परिसर, भूमि और भवन, उस पर स्थापित या निर्मित ढाँचा, निर्माण कार्यों का उपयोग केवल निर्माण कार्य और अन्य सह उत्पादों, जिनका वर्णन परियोजना प्रतिवेदन/आस्थायी वंजीयन में कार्यालय, प्रशासनिक भवन, गोदानों के निर्माण हेतु है, के निर्माण के उद्देश्य से करेगा और पट्टायाता से लिखित में पूर्व अनुमति लिए यिन्होंने इसका या इसके किसी भी भाग का कोई और उद्देश्य के लिए स्वयं उपयोग नहीं करेगा न ही अन्यथा किसी दूसरे वर्ग उपयोग करने की अनुमति देगा।

- * (भूमि हेतु)
11. पट्टाघरीता अपने ही व्यय पर उक्त भूमि की परिसीमाओं, जो कि इसमें संलग्न योजना में दर्शाए गए सीमावल के अनुलय हैं, पर सारे सीमावोतकों और स्तम्भों को तुरत स्थापित करेगा और पूरे समय, इनका परिसीमाओं सहित रखरखाव, सरमत कर, उत्तम अवस्था में रखेगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
12. पट्टाघरीता उक्त परिसर, भूमि और उस पर निर्मित भवन को, स्वयं के व्यय पर, निवास योग्य अवस्था में रखेगा और स्वयं के व्यय पर मध्य प्रदूषण निवारण मण्डल या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट किए गए अपारिष्ट पदार्थ उपचार सायंत्रों को संस्थापित एवं प्रबालित करेगा।
- *(भवन हेतु)
13. पट्टाघरीता उक्त परिसर में नुस्खा महाप्रबंधक/महाप्रबंधक से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी स्थायी और अल्पकालिक आवर्धन अध्यवा परिवर्तन, कुछ भी नहीं करेगा। आवर्धनों एवं परिवर्तनों में क्या तमाहित है इस विषय पर नुस्खा महाप्रबंधक/महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
- *(भवन हेतु)
14. यदि पट्टाघरीता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल उक्त परिसर में आवर्धन अध्यवा परिवर्तन की अनिवार्यता है तो उसे पट्टाघरीता, स्वयं के व्यय पर नुस्खा महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की लिखित पूर्वानुमति से करेगा। यह अनुमति अस्तीकार की जा सकेनी यदि उसे परिसर हेतु अवाधनीय या असुरक्षित स्थङ्गों जाए। पट्टाघरीता द्वारा बनाया गया कोई भी आवर्धन एवं परिवर्तन, पट्टाघरीता के व्यय पर उक्त अवधि की समाप्ति पर हटा देने के प्रतिबन्ध पर होगा, यदि नुस्खा महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा उसे बांधित न न हो। यदि नुस्खा महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा उसी छाने के लिए बाध्य न करें तो पट्टाघरीता को इस आवर्धन या परिवर्तन करने में तुर व्यय हेतु भुगतान या प्रतिपूर्ति बढ़ादाता द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
15. पट्टाघरीता, उक्त परिसर/भूमि को या उसके किसी भी भाग को या उस पर निर्मित किसी भी भवन को, कोई भी उद्देश्य के लिए शिकायी अध्यवा अभिलक्षित या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेगा, सिवाय जैसा कि उक्त नियम में अभिनिर्धारित किया गया है।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
16. पट्टाघरीता इकाई के स्वामित्विक गठन में, आवर्टन प्राधिकारी से लिखित रूप में पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना, परिवर्तन नहीं करेगा। यदि गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप, शूल आवंटी का जंश 50 प्रतिशत अंश से कम हो जाये, तो यह माना जाएगा कि इकाई किसी अन्य हाथ में अंतरित हो रही है और तदनुसार हस्तांतरण प्रक्रिय पट्टाघरीता द्वारा व्यवहृत होगा। परिवर्तन की सूचना आवर्टन प्राधिकारी को, ऐसे परिवर्तन के एक माह पूर्व, देने का दायित्व पट्टाघरीता पर होगा।
- *(भूमि हेतु)
17. पट्टाघरीता उसको पहुंच पर दी गई भूमि के प्रस्ति हेकेटर के लिए कम से कम 50 वृक्षों का रोपण स्वयं के व्यय से करेगा और इनकी देखभाल के लिए उचितार्थी होगा। पट्टाघरीता इस कारण तुर किसी भी व्यय को बापिस पाने का अधिकारी नहीं होगा। इस शर्त के अनुपालन से चूक जाने से उक्त परिसर के आवर्टन की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा।

- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 18. पट्टायर्हीता उक्त भूमि/परिसर में कोई भी आपेक्षित व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा। इस विषय में कि आपेक्षित व्यापार या व्यवसाय कथा होना आवंटन प्राधिकारी का निर्णय पट्टायर्हीता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 19. उक्त भूमि/परिसर का उपयोग करते समय यदि पट्टायर्हीता कोई भी व्यवित्र को चोट या शांति पहुँचाने का निषिद्ध बनता है तो वह उसी तरह मुआवजा या इतिहार्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं।
- *(भवन हेतु) 20. पट्टायर्हीता उक्त परिसर का, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के नाम से बीमा करायेगा एवं बीमाकृत रखेगा और उक्त अवधि यावत् हर समय स्वतंत्र और पृथक रूप से किसी भी आगजनित हानि या क्षति के विरुद्ध और अन्य सभी जोखिमों के प्रतिकूल जीता कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जरली तांगदारी रखें रखें
- (रखें) नात्र के लिए बीमा, उद्योग जायुक्त द्वारा जनुमोदित बीमा के नीं के साथ बीमाकृत रखेगा और मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास ऐसी सभी बीमा पोलिसियों को एवं इसी विषय में प्रव्याजि के जालायगी की सभी रक्तीदें जमा करेगा। पट्टायर्हीता उक्त परिसर का बीमा स्वतंत्र रूप से कराएगा, न कि पट्टायर्हीता की किसी भी अन्य सम्पत्ति के साथ।
- *(भवन हेतु) 21. पट्टायर्हीता उक्त परिसर के जिलायीन आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और बीमा पोलिसी को एवं इसकी मुकतान की रक्तीदें मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास, पट्टायर्हीता के उक्त परिसर का आधिकार्य प्राप्त कर लेने के दिनांक से एक माह के अवधि के भीतर जमा करेगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 22. पट्टायर्हीता, कारखाने की, जिसके लिए भूमि/परिसर का आवंटन किया गया है, पहुँच की अवधि यावत् निरंतर चलाएगा। आवंटन प्राधिकारी की संतुष्टि योग्य किन्हीं उचित कारणों के ज्ञान में छह महीने से अधिक अवधि तक लगातार कारखाने का बंद रहना, उक्त शर्त का उल्लंघन माना जायेगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 23. पट्टायर्हीता उक्त अवधि यावत्, उक्त भूमि/परिसर को, स्वयं के व्यय से यथोचित अच्छी स्थिति में आवंटन प्राधिकारी की संतुष्टि अनुरूप रखेगा।
- *(भवन हेतु) 24. यदि पट्टायर्हीता की ओर से कोई उपेक्षा या चूक हो जाने के कारण उक्त परिसर की कोई मरम्मत की आवश्यकता हो तो इसे पट्टायर्हीता स्वयं के व्यय से कराएगा। नियमित मरम्मत क्या होना चाहिए और क्या पट्टायर्हीता की ओर से कोई उपेक्षा या चूक से कोई मरम्मत आवश्यक हो गई है या नहीं, इसका निर्णय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा और यह पट्टायर्हीता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ट)

25. यदि एतद् द्वारा आरक्षित किराया या उसका कोई अंश किसी भी समय बक़ह्या और उस दिनांक के बाद जब यह किराया देय होगा, तो भूमि के पकरण में छह कैलेंडर माह तक और परिसर के प्रकरण में दो कैलेंडर माण तक अदेय रहता है, याहे यह किराया वैधानिक रूप से नोंगा बया हो अथवा नहीं, या यदि पट्टाघरीता दिवालिया हो जाता है और/या परिसीमन/तरलता में रखेंगा तो या अन्यथा चला जाता है या उक्त परिसर में कोई खुफ्फी/आसंजन हो जाय या पट्टाघरीता द्वारा इसमें जनविष्ट किसी भी शर्ती या प्रसविदाओं का उल्लंघन या अनुपालन न किया जाय और पट्टाघरीता, पट्टादाताओं द्वारा दिए गए लिखित सूचना के साथ दिवस के भीतर उल्लंघन का प्रतिकार करने से ब़क़ता है, या दिवालिया हो जाता है या अपने अल्लदाताओं के साथ उद्योग के निपटारे हेतु समझौता करता है, तो यह पछासाम भाना जायगा और पट्टादाता, कोई भी पूर्व बक़ह्या राशि के अधिकाग के बावजूद, उक्त भूमि/परिसर के पहुँचे के अंतर्गत शेष बच रहे किराए की दसूली हेतु, पट्टादाता कोई भी अधिकार या प्रतिकार हेतु कोई पक्षपात बिना, पुनर्विश का अधिकार प्रेरित कर सकता है और उक्त भूमि का अवलंबन कर सकता है जैसे कि मानो यह हस्ताक्षण किया हो न गया हो।

*(भूमि हेतु)

26. पट्टा अवधि की समाप्ति पर या पट्टाविलेख शर्ती के उल्लंघन के कारण पहुँच का पर्यावरण किए जाने से, पट्टादाता को भूमि/परिसर में पुनर्विश का अधिकार होगा। पहुँचे के एतद्वयीन परिस्थितियों में अवसान पर, प्रब्याजि, भू-भाटक या प्रतिभूति जना या प्रत्याप्ति अस्तीकार्य होगा।

*(भूमि हेतु)

27. पहुँच का पर्यावरणान्/समर्पण होने पर, पट्टाघरीता को, उक्त परिसर में स्थित भवन, संयंत्र एवं भूशीलित तथा कोई और निर्माण का लीन माह के भीतर अंतरण या अन्य प्रकार से विक्रय पट्टादाता द्वारा स्वीकार्य विधि से करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति पर पट्टादाता को उक्त परिसर में छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति पर बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए पूर्ण अधिकार होगा एवं तदनुसार उसका निपटान करने को स्वतंत्र होगा।

*(भवन हेतु)

28. पट्टाघरीता उपक्त अवधि की समाप्ति पर या पहुँच का समय पूर्व पर्यावरण होने पर, उक्त परिसर को, सामान्य टूट-फूट के बाद उसी अवस्था में जैसा कि पट्टाघरीता वो अधिकृति या प्राप्ति के समय सीधा बया था, पट्टादाता वो सीप देगा।

*(भूमि हेतु)

29. यदि पट्टाघरीता ने यथा समय एतद् द्वारा आरक्षित किराये का भुगतान किया है और इसमें सम्मिलित शर्ती का पालन किया है और पूरा किया है, तो पट्टादाता स्वप्रेरणा से पट्टाघरीता के निवेदन और व्यय पर पहुँच की पांच वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकृत कर सकेगा।

कि प्रत्येक नवीनीकृत पहुँच को प्रदान करने में किराया बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकृत पहुँच में ऐसी शर्त जो इसमें शामिल है जो कि प्रयोज्य होगे और अन्य ऐसी शर्तें भी जो पट्टादाता द्वारा आवश्यक समझा जाय, इसमें सम्मिलित होंगी।

*(भूमि हेतु)

30. पट्टायर्हीता पहुंच पर दिए गए क्षेत्र का आंकिक या संपूर्ण समर्पण, पट्टादाता को तीन कैलेंडर नात की सूचना में अपने इस अभिप्राय को लिखित रूप में देकर, कर सकता है। पट्टादाता को समर्पित भूमि/परिसर ने पुनर्विश का अधिकार होगा। ऐसे पुनर्विश पर, निम्न ढंग से पट्टादाता पट्टायर्हीता को प्रब्लेम का प्रत्यर्थी कर सकता है, जिसे पट्टायर्हीता को भूमि आवंटित/पहुंच पर दिए जाते समय पट्टायर्हीता ने भुगतान किया था।

- (I) 90 प्रतिशत, यदि आवंटित/पहुंच पर दिए गए भूमि का समर्पण आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में, एक वर्ष के भीतर और बृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, एक वर्ष के बाद किन्तु दो वर्ष के भीतर और बृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर, होता है।
- (II) 80 प्रतिशत, यदि आवंटित/पहुंच पर दिए गए भूमि का समर्पण लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के बाद किन्तु दो वर्ष के भीतर और बृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर, होता है।
- (III) 70 प्रतिशत, यदि आवंटित/पहुंच पर दिए गए भूमि का समर्पण, लघु स्तर के उद्योग एवं प्रकरण में दो वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष के भीतर और बृहद एवं मध्यम उद्योग एवं प्रकरण में चार वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष के भीतर, होता है।

इस कठिका के उद्देश्य हेतु पट्टायर्हीता के पास भूमि पर आधिपत्य की अवधि का निर्धारण, पट्टायर्हीता द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से पट्टादाता को आधिपत्य बापस देने तक, किया जाएगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

31. इस पहुंच की तौरारी, लेखकरण और पंजीयन के लिए उताए गए या उताए जाने वाला सभी पारिव्यय और खर्च पट्टायर्हीता द्वारा बहन और भुगतान करने होंगे, यशर्ते कि इस संबंध में ऐसी छूट दी गई हो जो कि पट्टादाता के द्वारा जनुमोदित हो।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

32. इसके जौर आगे घोषणा की जाती है कि पट्टायर्हीता प्रतिशुति के रूप में चाशि रूपये (रूपये) जात्र इस पट्टायिलेख की कठिका 2 के अनुसार ने देय किराये के समयोधित भुगतान के लिए और इसमें सम्बलित अनेक शर्तों का परिपालन और निष्पादन करने के लिए, जना करेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

33. पट्टायर्हीता द्वारा इस पट्टायिलेख के किसी भी कठिका का अतिक्रमण/उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवंटन प्राधिकारी पट्टायर्हीता को 60 दिवस के भीतर पट्टायिलेख की कठिकाओं का परिपालन/आजापालन के लिए अथवा उल्लंघन का परिशोधन करने की सूचना तानील करा सकेंगा/करायेंगा और यदि इस सूचना का पालन न हुआ तो पट्टायिलेख निररत हुआ माना जाएगा।

(भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ)

34. पट्टायर्हीता के द्वारा इसने सम्बलित किसी भी शर्त और प्रतिबंध का उल्लंघन या जनुपालन न होने पर, उम्म कठिका 32 में निर्दिष्ट प्रतिशुति जमा का पट्टादाता के द्वारा, इस जौर से पट्टादाता के बोई भी अन्य अधिकार या प्रतिकार के लिए पक्षपात बिना और उक्त भूमि/परिसर का आधिपत्य पुनः ग्रहण करने हेतु राजसात कर लेना विधि अनुकूल होगा।

- (भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ)
35. प्रत्यानुसिंह राशि, जिसका उल्लेखित तरीके से राज्यसात् नहीं हुआ हो, से पट्टादाता को देय और इस संदर्भ में इसके द्वारा बस्तुने योग्य सभी राशियों की कटीती के पश्चात पट्टायहीता को पट्टाविलेख की अवधि पूरा होने या अन्य कारणों से समाप्ति के बाद वापिस किया जाएगा।
- (गृहि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
36. पट्टायहीता यदि वह आवंटन प्राधिकारी के द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्ट है तो वह निम्नानुसार कैबिल एक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा :
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन संबंधित जिला योजना समिति को
 - जिला योजना समिति द्वारा पारित मूल आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को
- ऐसे अभ्यावेदन पर दिया नया निर्वय अंतिम होगा और इसके पश्चात पुनः अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (उल्लेखनीय है कि ऐसा अभ्यावेदन मूल आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।)
- *(मूर्मि हेतु)
37. पट्टायहीता, औद्योगिक शेड/संरचना के लिए भूमि जर्जित करने में प्रभावित परिवारों के सदस्यों को नियमित रोजगार, उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर, उपलब्ध कराएगा। इस कंडिका के अंतर्गत विचारार्थ हेतु पात्र लोगों की सूची जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार होगी।
- अध्याय**
- जहां अर्जित की गई भूमि के बड़े हिस्से का एक विशेष उद्योग हेतु उपयोग विद्या जाना है, पट्टायहीता औद्योगिक उद्देश्य हेतु उनकी भूमि अर्जित करने में विस्थापित परिवारों के प्रत्येक में से एक सदस्य का पुनर्वास, जिला योजना समिति द्वारा जनुनादित पुनर्वास कार्यक्रम के अनुलय करेगा। इकर्ई में उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर इस पुनर्वास कार्यक्रम का संपूर्ण क्रियान्वयन विद्या जाना होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
38. आवंटन प्राधिकारी जिसे आवंटन के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, वह पट्टादाता की ओर से पट्टाविलेख का पर्यावरण करने में भी सक्षम होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
39. यह पट्टाविलेख न.प्र.उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974, समय-समय पर ध्वनि संशोधित है, में सम्बिलित प्रतिबंधों के अध्याधीन होगा। इस पट्टाविलेख के लेख्य-करण के बाद नियम में होने वाले संशोधनों की सूचना पट्टायहीता को मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के द्वारा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में ऐसे संशोधनों की प्राप्ति के दिनांक से सामान्यतया तीन माह के भीतर दिया जाएगा। पट्टायहीता स्वयं के व्यय से उक्त संशोधनों से पट्टाविलेख को संशोधित करने हेतु बाध्य होगा।
- (भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)
40. इस विलोक्त के अध्याधीन बसूली योग्य सभी राशि, मू-राजस्व बकाया स्वरूप बसूली जा सकेगी।
- (*जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

अनुसूची

| | |
|-------------------------------------|--|
| ग्राम का नाम | |
| तहसील का नाम | |
| जिले का नाम | |
| आधिकारिक लोक्र/संस्थान का नाम | |
| प्लाट इमारक | |
| आकार | |
| खण्ड इमारक | |
| भवन इमारक | |
| शेष इमारक | |
| आच्छादित शीत्र | |
| विशृङ् रथान | |
| चतुर्सीनार | |

पूर्व में
उत्तर में
पश्चिम में
दक्षिण में

(उपरोक्त विवरण संलग्न जनियात में दर्शाए गए हैं)

साथी में जिसके, एतद् पक्षों ने इस पहुँचिलेख पर हस्ताक्षर, इस दिनांक और वर्ष में जो इमार उनके हस्ताक्षर के सामने दर्शित हैं, किए हैं।

(पहाड़ता)

| | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| साथी (कृपया पूरा नाम..... | 1. नाम | मुख्य गृहाप्रबंधक/प्रबंधक |
| पिता का नाम, जायु | पिता का नाम | जिला व्यापार एवं उद्योग फेन्ड |
| और पता हैं) | जायु (शब्दों में.....) | म.प्र. के राज्यपाल की ओर से |
| | पता | |
| 2. नाम | | दिनांक |
| | पिता का नाम | |
| | जायु (शब्दों में.....) | |
| | पता | |
| 1. नाम | | हस्ताक्षर |
| पिता का नाम | | पहाड़ता की ओर से |
| जायु (शब्दों में.....) | | मैसरी |
| पता | | नाम |
| 2. नाम | | पिता का नाम |
| पिता का नाम | | जायु (शब्दों में.....) |
| जायु (शब्दों में.....) | | पता |
| पता | | |
| दिनांक | | |